HJS Bench 1 Link 1	HJS Bench 2 Link 2	LJS Bench 4 Link 4	LJS Bench 5 Link 5	lJS Bench 6 Link 6	LJS Bench 7 Link 7	LJS Bench 8 Link 8	LJS Bench 9 Link 9

(To be filled by Competent Authority)

विशेष ई–लोक अदालत

प्रारूप क्रमांक–6

न्यायालयः न्यायिक दण्डाधिकारी.....(छ.ग.)

.....
.....
..... राज्य / परिवादी

// विरूद्ध //

.....
.....
..... अभियुक्त

धारा 320 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध के शमन की अनुमति हेतु आवेदन

उपर्युक्त परिवादी निम्नानुसार आवेदन करता है कि :–

1/ यह कि इस प्रकरण के अभियुक्त / गण से अपने संबंध मधुर बनाये रखने के लिए इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध का शमन करना चाहता है।

2/ आज लोक अदालत के सुलहकर्ताओं ने उभय पक्षकारों को सुनकर दोनों पक्षों के बीच भविष्य में अच्छे संबंध पुनः स्थापित किये जाने हेतु अपराध का शमन करने की सलाह दी है, जिससे उभय पक्षकार सहमत हो चुके है। बिना किसी दबाव के पक्षकारों के बीच कोई द्वेष या मनमुटाव नहीं रह गया है।

3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई–लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

चूंकि अपराधों में न्यायालय की अनुमति बिना अपराध का शमन नहीं हो सकता है। अतः प्रार्थना है कि उपर्युक्त परिस्थितियों में इस दाण्डिक प्रकरण में अपराध के शमन की अनुमति पक्षकारों को प्रदान की जावे।

हस्ताक्षर अभियुक्त / अभियुक्तगण

अधिवक्ता वास्ते–अभियुक्त / अभियुक्तगण

हस्ताक्षर आवेदक / परिवादी

अधिवक्ता वास्ते–आवेदक / परिवादी

प्रार्थी / प्रार्थिया का मोबाईल नं0.....
प्रार्थी / प्रार्थिया के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आईडी .....
आरोपी का मोबाईल नं0.....
आरोपी के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आईडी .....

स्थान–
दिनांक–

टीपः विशेष ई लोक अदालत में जुडने हेतु लिंक की जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट से, अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से अथवा जिले में पदस्थ टेक्निकल स्टॉफ से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में विशेष ई–लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों के पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण का वाट्स–अप ग्रुप बनाकर भी उसमें लिंक की जानकारी प्रेषित की सकती है।

HJS Bench 1 Link 1	HJS Bench 2 Link 2	LJS Bench 4 Link 4	LJS Bench 5 Link 5	lJS Bench 6 Link 6	LJS Bench 7 Link 7	LJS Bench 8 Link 8	LJS Bench 9 Link 9

(To be filled by competent authority)

विशेष ई–लोक अदालत

प्रारूप कमांक–5

न्यायालयः–न्यायिक दण्डाधिकारी .....(छ.ग.)

.....

.....

..... राज्य/प्रतिवादी

विरूद्ध

.....

.....

..... अभियुक्त/अभियुक्तगण

आपराधिक प्रकरण कमांक .....

–: शमनीय अपराध के शमन हेतु आवेदन :–

1/ यह कि इस प्रकरण में अभियोगी तथा अभियुक्त एक ही गांव के हैं। अतः उन्होंने शांति एवं सद्भावनापूर्वक मेलजोल बनाए रखने के लिए इस प्रकरण में राजी–खुशी से समझौता कर लिया है।

2/ यह कि अभियुक्त पर लगाया गया आरोप न्यायालय की बिना अनुमति से आवेदन द्वारा शमन होने योग्य हैं। आवेदकगण समझौता करने में सक्षम है तथा दोनों पक्षो में स्वेच्छा से अपराध को शमित करने का निश्चय किया है।

3/ यह कि हम पक्षकारगण विशेष ई–लोक अदालत के अंतर्गत विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राजीनामा किये जाने हेतु सहमत हैं।

अतः निवेदन है कि उभयपक्ष के बीच इस प्रकरण में समझौता हो जाने के कारण अब इस प्रकरण में अपराध को शमित कर अभियुक्त/अभियुक्तगण का दोषमुक्त किया जावे।

हस्ताक्षर अभियुक्त/अभियुक्तगण

अधिवक्ता वास्ते–अभियुक्त/अभियुक्तगण

हस्ताक्षर आवेदक/परिवादी

अधिवक्ता वास्ते–आवेदक/परिवादी

प्रार्थी/प्रार्थिया का मोबाईल नं0.....

प्रार्थी/प्रार्थिया के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आईडी .....

आरोपी का मोबाईल नं0.....

आरोपी के अधिवक्ता का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आईडी .....

स्थान–

दिनांक–

टीपः विशेष ई लोक अदालत में जुडने हेतु लिंक की जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट से, अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से अथवा जिले में पदस्थ टैक्निकल स्टॉफ से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में विशेष ई–लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने वाले प्रकरणों के पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण का वाट्स–अप ग्रुप बनाकर भी उसमें लिंक की जानकारी प्रेषित की सकती है।

विशेष ई–लोक अदालत समझौतानामा

लोक अदालत खण्डपीठ क्रमांक.....दिनांक.....

1. पक्षकारों के नाम.....

.....

.....

.....

.....

2. प्रकरण क्रमांक.....

.....

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. सुलहनामें की शर्तें : उभय पक्ष ने बिना किसी जोर दबाव के राजीनामा कर लिया है तथा उनके मध्य मधुर संबंध है, वे आपस में प्रेम पूर्वक रह रहें हैं। इस बाबत् पक्षकारों से व्ही. सी. के माध्यम से सहमति ली गई है।

5. अवार्ड.....

.....

.....

.....

.....

सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी